संख्या: 52/2024/871/छप्पन-2024-31/2016(Stage-2)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2024

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने एवं कतिपय अन्य वित्तीय स्वीकृतियों, अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने एवं कतिपय अन्य वित्तीय स्वीकृतियों, अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 11 जून, 2024 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

(1) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के निर्माण हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन हेतु शासनादेश संख्या 50/2024/ 756/छप्पन-2024-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 31 मई, 2024 द्वारा स्वीकृत अनुमानित धनराशि रू0 1296.8258 करोड़ (रूपये बारह अरब छियान्नवे करोड़ बयासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) तथा इसमें से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 4,86,30,96,750/- (रूपये चार अरब छियासी करोड़ तीस लाख छियान्नवे हजार सात सौ पचास मात्र) की स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु प्रस्तावित कुल 1179.6853 हैक्टेयर निजी भूमि की भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रकाशित/निर्गत अधिसूचना संख्या 53/2023/382/छप्पन-2023-31-2016(Stage-2) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2022 में गलत प्रकाशित भूखण्ड संख्या 221/1, 221/2, 1212/1, 1212/2 एवं 1212/3 के स्थान पर सही भूखण्ड संख्याएं 222/1, 222/2, 1012/1, 1012/2 एवं 1012/3, जिनका कुल क्षेत्रफल 1.5940 हैक्टेयर है, की उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अधीन प्रकाशित/निर्गत अधिसूचना संख्या 75/2023/781/छप्पन-2023-31-2016(Stage-2) दिनांक 18 जुलाई, 2023 तथा धारा 19(1) के अधीन प्रकाशित/निर्गत अधिसूचना संख्या 04/2024/ 1762/छप्पन-2023-31-2016 (Stage-2) दिनांक 05 जनवरी, 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) शासन के पत्र संख्या 1087/छप्पन-2023-31/2016 दिनांक 07 अगस्त, 2023 द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर पर जल की आपूर्ति के लिए यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोत्रों से ही कार्य कराए जाने हेतु लिए गए निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5) शासन के पत्र संख्या 1218/छप्पन-2023-31/2016(Road) दिनांक 01 सितम्बर, 2023 द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर हेतु Secondary Access के सम्पूर्ण कार्यों को यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा अपने वित्तीय स्रोत्रों से कराए जाने हेतु लिए गए निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हैक्टेयर भूमि के सापेक्ष अधिनिर्णीत क्षेत्रफल 1179.6853 है0 भूमि हेतु शासनादेश संख्या 111/2023/1437/ छप्पन-2023-31/2016(स्टेज-2) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 8,79,77,51,734.00 (रूपये आठ अरब उन्यासी करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) का कार्योत्तर अनुमोदन तथा इसमें से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार रू0 3,29,91,56,900.00 (रूपये तीन अरब उनतीस करोड़ इक्यान्नवे लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(7) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के लिए अर्जन हेतु अधिसूचित कुल 1181.2793 हेक्टेयर (श्रेणी-1क कृषि भूमि एवं एवं श्रेणी-6(2) आबादी/ ग्राम सभा भूमि) पर स्थित परिसम्पत्तियों की अनुमानित मूल्यांकित धनराशि हेतु शासनादेश संख्या 23/2024/128/छप्पन-2024-31/2016(Stage-2) दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2,78,46,80,964.00 (रूपये दो अरब अठहत्तर करोड़ छियालीस लाख अस्सी हजार नौ सौ चौसठ मात्र) का कार्योत्तर अनुमोदन तथा इसमें से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार रू0 1,04,42,55,361/- (रूपये एक अरब चार करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार तीन सौ इकसठ मात्र) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(8) नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के स्थायी विद्युत संयोजन (East Sub Station) 33 केवी विभव पर स्वीकृत विद्युत भार 19.5 MVA (HV-1) को निर्गत किए जाने हेतु प्रस्तावित 33 केवी लाइनों के निर्माण हेतु प्राक्कलित धनराशि के लिए शासनादेश संख्या 25/2024/14/ छप्पन-2024-56-1099/2/2024 दिनांक 21 फरवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 27.43 करोड़ (रूपये सत्ताइस करोड़ तैंतालीस लाख मात्र) का कार्योत्तर अनुमोदन तथा इसमें से NIAL में उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार रू0 10,28,62,500/- (रूपये दस करोड़ अठ्ठाईस लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(9) शासन के पत्र संख्या 196/छप्पन-2024-31/2016 (Road) दिनांक 16 मई, 2024 द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट को पूर्वी एवं उत्तरी कनेक्टिवटी दिए जाने हेतु एयरपोर्ट के उत्तरी छोर अर्थात H-E-D1-C तक 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण यमुना ऐक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा अपने वित्तीय स्रोत्रों से कराए जाने हेतु लिए गए निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) परियोजना के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

पृ0सं0- 52/2024/871(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक/राजस्व/नियोजन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ऊर्जा तथा लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0, गौतमबुद्धनगर।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।
6. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।